>

Title: Issue regarding declaring eco-sensitive zone around National Parks in the country.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय पार्कों के चारों तरफ इको सैन्सिटिव ज़ोन चिह्नित करने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिये हैं कि राज्य सरकार जल्दी इको सैन्सिटिव ज़ोन चिह्नित कर उसे डिक्लेयर करे, अन्यथा माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं डिक्लेयर कर देगा। मैं यहां यह बताना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क व राजाजी नेशनल पार्क आते हैं। 10 किलोमीटर की परिधि की जो सीमा इको सैन्सिटिव ज़ोन के लिए रखी गई है, उसके अंतर्गत कई पुराने शहर जैसे रामनगर, कालागढ़ और कई गाँव आते हैं। ऐसे में इस सीमा को तय करने के लिए स्थानीय सांसद और विधायकों के विचार ज़रूर लेने चाहिए ताकि वर्षों से वहाँ निवास और व्यापार कर रहे स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जो लोग पुराने बसे हुए हैं, उन्हें न छेड़ा जाए अपितु गाँव वालों को वन्य जीवन के प्रति शिक्षित किया जाए। जो चारों तरफ दस किलोमीटर डिक्लेयर करने की बात की गई है, वह तर्कसंगत नहीं है, इसमें थोड़ा शिथिलीकरण करके इको सैन्सिटिव ज़ोन का चयन वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इको सैन्सिटिव ज़ोन चिह्नित करने से पहले स्थानीय सांसदों और विधायकों की राय अवश्य ले।